

कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद गाजीपुर ।

पत्रसंख्या- सो0मी0- स0कार्य/2022

दिनांक 29/06/2025

सेवा में,

पुलिस उपाधीक्षक/स्टॉफ ऑफिसर

अपर पुलिस महानिदेशक,

वाराणसी जोन, वाराणसी, उ0प्र0 ।

कृपया पत्र संख्या:41/छ:-पु-3/2020,दिनांक:04/06/2020 का (छायाप्रति संलग्न) के परिपेक्ष्य में आप अपने पत्र संख्या सोशल मीडिया-(18/2020 का अवलोकन करें, जो पुलिस विभाग एवं उसकी अन्य इकाईयों द्वारा किये जाने वाले सराहनीय कार्यों एवं विशिष्ट उपलब्धियों का प्रचार-प्रसार किये जाने विषयक है ।

कृपया

उक्त के संबंध में सादर अवगत कराना है कि जनपद गाजीपुर के पुलिस कर्मियों द्वारा उत्कृष्ट/सराहनीय कार्य के संबंध में दिनांक 28.06.2025 की संबंधित सूचना निम्नवत् है-

01. थाना कोतवाली पुलिस टीम मु0अ0सं0 258/2025 धारा 3/5A/5B/8 गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रूरता अधिनियम से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार ।

अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत दिनांक 18.04.2025 को घाट स्टेशन मोड़ के पास चेकिंग के दौरान मुखबिर सूचना के आधार पर एक सफेद रंग की मैजिक पिकअप जो सुखदेवपुर मोड़ की तरफ से आ रही थी , जिसको चेक किया गया तो मैजिक पिकअप वाहन मे 02 राशि गोवंश बैल व 01 राशि बछड़ा लदा हुआ है जिनका मुंह व पैर रस्सी से बुरी तरह बांधकर क्रूरता पूर्वक बैठाया गया है । जिसके सम्बन्ध मे थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 258/2025 धारा 3/5A/5B/8 गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रूरता अधिनियम पंजीकृत किया गया तथा उक्त मुकदमे से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त सलीम नट पुत्र अली हुसैन निवासी ग्राम कन्धेरी थाना सरायलखन्सी जनपद मऊ उम्र करीब 22 वर्ष को दिनांक 27.06.2025 को मटेहु गाजीपुर के पास से गिरफ्तार कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

1 .सलीम नट पुत्र अली हुसैन निवासी ग्राम कन्धेरी थाना सरायलखन्सी जनपद मऊ उम्र करीब 22 वर्ष ।

आपराधिक इतिहास –

1 .मु0अ0सं0-258/2025 धारा 3/5A/5B/8 गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रूरता अधिनियम थाना कोतवाली जनपद गाजीपुर ।

2 .मु0अ0सं0-192/2023 धारा 376A,B,452 भादवि व 5M/6 पाक्सो एक्ट थाना सरायलखंशी जनपद मऊ

3 .मु0अ0सं0-179/2022 धारा 379,411 भादवि थाना मरदह जनपद गाजीपुर ।

2. थाना बिरनो पुलिस टीम द्वारा मु0अ0सं0 98/2025 धारा 108 बीएनएस से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार ।

अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत आज दिनांक 28.06.2025 को थानाध्यक्ष बिरनो मय हमराह द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 98/2025 धारा 108 बीएनएस से सम्बन्धित अभियुक्त बृजेश राजभर पुत्र देनी राजभर निवासी ग्राम बद्धोपुर (पहिलापार) थाना बिरनो जनपद गाजीपुर द्वारा शराब के नशे में अपनी पत्नी पुष्पा को मारना पीटना व प्रताड़ित करना जिससे तंग आकर पीड़िता पुष्पा द्वारा फाँसी लगा कर आत्महत्या कर लिया गया । जिसके क्रम में आज दिनांक 28.06.2025 को ग्राम बद्धोपुर (पहिलापार) थाना बिरनो जनपद गाजीपुर से अभियुक्त उपरोक्त को गिरफ्तार किया गया । गिरफ्तारशुदा अभियुक्त के विरुद्ध अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

1. बृजेश राजभर पुत्र देनी राजभर निवासी ग्राम बद्धोपुर (पहिलापार) थाना बिरनो जनपद गाजीपुर

3. थाना बरेसर पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 70/2025 धारा 87,137(2),65(1),82(1) BNS व 3/4 पॉक्सो एक्ट में वांछित 01 नफर अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार ।

अपराध व अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे विशेष अभियान के तहत उ0नि0 रुस्तम खाँ मय हमराह द्वारा मु0अ0सं0 70/2025 धारा 87,137(2),65(1),82(1) BNS व 3/4 पॉक्सो एक्ट थाना बरेसर जनपद गाजीपुर से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त देव नारायण राजभर पुत्र मोहन राजभर निवासी ग्राम फैजुल्लाहपुर थाना करीमुद्दीनपुर जनपद गाजीपुर, उम्र 30 वर्ष को ग्राम मनीरपुर थाना बरेसर से गिरफ्तार किया गया । गिरफ्तारशुदा अभियुक्त के विरुद्ध अग्रिम विधिक कार्यवाही का जा रही है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता -

1. देव नारायण राजभर पुत्र मोहन राजभर निवासी ग्राम फैजुल्लाहपुर थाना करीमुद्दीनपुर जनपद गाजीपुर, उम्र 30 वर्ष

आपराधिक इतिहास -

1. मु0अ0सं0 70/2025 धारा 87,137(2),65(1),82(1) BNS व 3/4 पाक्सो एक्ट थाना बरेसर जनपद गाजीपुर ।

पुलिस अधीक्षक
गाजीपुर